<u>शासनादेश संख्या— 20 / 2024 / सा—3—276 / X—2024 / 301(1) / 2024 दिनांक 11 जुलाई,</u>

2024 का संलग्नक-

विकल्प पत्र

- 1. नाम- राकेश त्रिपाठी
- वर्तमान पदनाम— अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली।
- 3. वेतनमान- J-5 (144840-194660), मूल वेतन- 1,94,660/-रू0
- 4. वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग
- 5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम— उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग—4 (माध्यम लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश)
- विज्ञप्ति की तिथि– 15.11.2003 (विज्ञापन संख्या ए–2/ई0–1/2003)
- 7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि— 26.05.2006 (उ०प्र0शासन नियुक्ति अनुभाग—4, लखनऊ, संख्या 2430/II—4—06—32(1) 2001 टी०सी०—1)
- योगदान की तिथि– 16.06.2006 (अपर सिविल जज (जू0डि0) गाजीपुर)
- 9. जन्म तिथि- 10.04.1978
- 10. सेवानिवृत्ति की तिथि— 30.04.2038

में **राकेश त्रिपाठी** पुत्र **श्री रिव राम त्रिपाठी** शासनादेश संख्या $-14/2024/\pi I - 3 - 243/X - 2024/301(1)/2024$ दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना** ($\sqrt{\ }$) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर र्जिन्द्रिक्त न्यायाधीश, बरेली। पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली। दिनांक- 31.07.2024

घोषणा पत्र

मैं **राकेश त्रिपाठी** पदनाम **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली** यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या—01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली। दिनांक- 31.07.2024

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री राकेश त्रिपाठी पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (४)/ नई पेंशन योजना () में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमित प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति

STRICT JUDGE